

भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
रक्षा (एएफटी प्रकोष्ठ)

विषय: सशस्त्र सेना अधिकरण (एएफटी) के प्रशासनिक सदस्यों का चयन ।

सशस्त्र सेना अधिकरण में प्रशासनिक सदस्यों की पांच (5) रिक्तियों को भरने के लिए, नीचे उल्लिखित पात्रता मानदंडों के अनुसार पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं ।

2. 12.02.2020 को जीएसआर 109(ई) के तहत अधिसूचित "अधिकरण, अपीलीय अधिकरण और अन्य प्राधिकरण (सदस्यों की योग्यताएं, अनुभव और सेवा की अन्य शर्तें) नियमावली 2020" के नियम 3 की अनुसूची 18 (कॉलम-3) में यह प्रावधान है कि:-

"कोई व्यक्ति प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्ति हेतु योग्य नहीं होगा, जब तक वह:-

- (क) सेना में मेजर जनरल रैंक अथवा उससे ऊपर अथवा नौसेना अथवा वायु सेना के समकक्ष रैंक पर कम-से-कम तीन वर्षों की कुल अवधि तक पद पर धारित रहे हों अथवा पद पर हों, अथवा
- (ख) सेना अथवा नौसेना अथवा वायु सेना में जज एडवोकेट जनरल के रूप में कम-से-कम एक वर्ष की सेवा की हो और क्रमशः मेजर जनरल, कमोडोर और एयर कमोडोर के रैंक से कम न हो, अथवा
- (ग) वह व्यक्ति योग्य, सत्यनिष्ठ और प्रतिष्ठित होना चाहिए और उसे अर्थशास्त्र, बिजनेस, वाणिज्य, विधि, वित्त, लेखांकन, प्रबंधन, उद्योग, लोक मामले, प्रशासन में कम-से-कम तीस वर्षों का विशेष ज्ञान और व्यावसायिक अनुभव हो अथवा अन्य किसी मामले, जो कि केन्द्र सरकार की राय में सशस्त्र सेना अधिकरण के लिए उपयोगी हो, का ज्ञान हो ।

3. सदस्य "अधिकरण, अपीलीय और अन्य प्राधिकरण (सदस्यों की योग्यताएं, अनुभव और अन्य शर्तें) नियमावली 2020" के नियम 9 के अनुसार चार वर्ष या पैसठ वर्ष की उम्र पूरी करने तक जो भी पहले हो तक कार्यालय में पद पर बना रहेगा ।

4. एएफटी के सदस्यों का वेतन, भत्ते, अन्य नियम और शर्तें, अधिकरण, अपीलीय अधिकरण और अन्य प्राधिकरणों (सदस्यों की योग्यताएं, अनुभव और सेवा की अन्य शर्तें) नियमावली 2020 द्वारा शासित किए जाएंगे ।

5. चयनित व्यक्ति की नियुक्ति अखिल भारतीय स्थानांतरण के अधीन होगी और इन्हें भारत में जहां भी सशस्त्र बल की पीठ होगी, तैनाती दी जा सकती है।

6. सशस्त्र बल अधिकरण में प्रशासनिक सदस्य के पद हेतु निम्नलिखित श्रेणियों से जुड़ी सूचना और सामग्री निर्धारित प्रारूप में आवेदन/जीवन-वृत्त के साथ संलग्न करना आवश्यक है:-

(i) सेना, नौसेना और वायुसेना: आवेदक द्वारा अपनी सेवा अवधि के दौरान अनुशासनात्मक मामलों में दिया गया कोई निर्णय/आदेश और यदि यह उपलब्ध कराया जा सकता है।


(ii) अन्य: आवेदक के व्यावसायिक क्षेत्र में विशेषज्ञता से संबंधित विस्तृत सूचना/उपलब्धि, जो कि सशस्त्र बल अधिकरण के लिए लाभप्रद हो।

7. उपर्युक्त पैरा 6 में उल्लिखित निर्धारित पत्र में आवेदन-पत्र अनुलग्नकों के साथ रक्षा मंत्रालय के पास 25 अगस्त, 2020 तक निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं:-

श्रीमती चारु विजय,
अवर सचिव,
रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र सेना अधिकरण प्रकोष्ठ,
कमरा संख्या 308-ए, 'बी' विंग, सेना भवन,
नई दिल्ली-110011.

8. इस मंत्रालय में सेवा चैनलों/कार्यालयों के माध्यम से निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त नामांकनों/आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

9. एएफटी में सदस्यों की नियुक्ति संबंधी इस मंत्रालय के दिनांक 25.07.2019 के विगत परिपत्र को रोजर मैथ्यूज बनाम साउथ इंडियन बैंक लि. शीर्षक की सीए संख्या 8588/2019 में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13.11.2019 के आदेश को ध्यान में रखते हुए निरस्त किया गया है और ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पहले आवेदन किया था उनको अब पुनः आवेदन करना होगा।



(अशोक चक्रपाणी)

निदेशक, ओएसडी (सीपी)

दूरभाष नंबर - 23011681

संलग्नक:- उपर्युक्तानुसार

- चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) / साउथ ब्लाक
- सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

रक्षा मंत्रालय आईडी संख्या 3(2)/2019-रक्षा(एएफटी प्रकोष्ठ), दिनांक 24.06.2020

प्रतिलिपि:

एजी
सीओपी
एओपी
एमएस(एक्स)

योग्य अधिकारियों/सेवानिवृत्त अधिकारियों तक वृहत् रूप से प्रचारित करने के आग्रह के साथ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित:-

1. प्रधान रजिस्ट्रार, एएफटी - एएफटी की वेबसाइट पर रिक्ति पद अपलोड करने हेतु परिपत्र
2. निदेशक(एनआईसी/रक्षा मंत्रालय)- रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर रिक्ति पद अपलोड करने हेतु परिपत्र
3. सेक्रेटरी जनरल, एसोशिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज (एआईयू)
4. चेयरमैन, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की)
5. डायरेक्टर जनरल, फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई)

सशस्त्र बल अधिकरण में प्रशासनिक सदस्य के पद हेतु जीवन-वृत्त

1. नाम :
2. पिता का नाम :
3. जन्म तिथि :
4. शैक्षिक योग्यता :
- 4.(क) अकादमिक योग्यता:

क्रम सं.	विश्वविद्यालय/बोर्ड का नाम	डिग्री	उत्तीर्ण करने का वर्ष	प्राप्तांकों का प्रतिशत	विषय

- 4.(ख) विधि योग्यता, यदि कोई हो:
- 5.कमीशनिंग की तारीख: {परिपत्र के पैरा 2(क) और 2(ख) में वर्णित आवेदकों हेतु}
- 6.(क) सेवा में शामिल होने के पश्चात् धारित पदों के ब्यौरे:

क्रम संख्या	धारित पद	वेतन-मान	अवधि(...से....तक)	रैंक

- 6.(ख) अवार्ड:
- 6.(ग) प्रशिक्षण:
7. वर्तमान/अंतिम धारित पद का पदनाम:
8. वेतनमान (वर्तमान/अंतिम):
9. अधिवर्षिता की तारीख:

10. कार्यालय का पता, दूरभाष नंबर के साथ:
11. (क) घर का पता, दूरभाष नंबर एवं मोबाइल नम्बर के साथ:
11. (ख) ईमेल आईडी:
12. प्रशासनिक, विधायी और अर्ध-न्यायिक अनुभव के ब्यौरों में निम्न प्रत्येक विषय हेतु 50 शब्दों से अधिक न हो :
- (क) सैन्य उपलब्धियां: (परिपत्र के पैरा 2(क) और 2(ख) में वर्णित आवेदकों हेतु)
- (ख) संक्रियात्मक प्रबंधन: (परिपत्र के पैरा 2(क) और 2(ख) में वर्णित आवेदकों हेतु)
- (ग) प्रशासनिक अनुभव:
- (घ) विधायी और अर्ध-न्यायिक अनुभव:
13. विगत 10 वर्षों के दौरान सेना, विधायी और अर्ध-न्यायिक मामलों के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों का उल्लेख करें (100 शब्दों से अधिक न हो):
14. अर्थशास्त्र, बिजनेस, वाणिज्य, विधि, वित्त, लेखा-शास्त्र, प्रबंधन, उद्योग, लोक मामले, प्रशासन अथवा सशस्त्र सेना अधिकरण के लिए उपयोगी अन्य किसी मामले में विशेष ज्ञान और व्यावसायिक अनुभव (तीस वर्ष से कम न हो) के ब्यौरे (100 शब्दों से अधिक न हो) । {परिपत्र के पैरा 2(ग) में वर्णित आवेदकों हेतु}

उपरोक्त दी गई सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और सत्य है ।

टिप्पणी: कृपया ध्यान दीजिए कि कॉलम 13 एवं 14 में संगत सूचना न दिए जाने पर आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा । निर्धारित सीमा से अधिक शब्दों के साथ पृथक रूप में संलग्न अनुबंधों का कृपया प्रयोग करने से बचे ।

हस्ताक्षर

नाम -----

स्थान:

दिनांक: